



भारतीय रिज़र्व बैंक Reserve Bank of India

भारिबै/पवि/2026-27/440

प.वि.कें.का.पीपीजी.34/11.01.005/2026-27

31 जुलाई 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य) निदेश, 2026

विषय सूची

प्रस्तावना.....	3
अध्याय I - प्रारंभिक	3
ए. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	3
बी. अनुप्रयोज्यता	3
सी. परिभाषाएँ	4
अध्याय II - अभिशासन और निगरानी.....	5
ए. बोर्ड की भूमिका	5
बी. वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका.....	5
अध्याय III - जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा फ्रेमवर्क	7
ए. आंतरिक लेखापरीक्षा पर नीति	7
बी. उद्देश्य और दायरा	7
सी. प्राधिकार, कद और स्वतंत्रता	8
डी. जोखिम मूल्यांकन.....	9
ई. लेखापरीक्षा योजना	10
एफ़. अनुपालन की निगरानी	11
जी. आउटसोर्सिंग.....	11
अध्याय IV - आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख.....	13
ए. प्राधिकार, कद और स्वतंत्रता	13
बी. कार्यकाल.....	13
सी. रिपोर्टिंग लाइन	13
अध्याय V – निरीक्षण और आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली	14

पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मेकर टावर-ई, 20वीं मंजिल, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400 005

दूरभाष: 022-6997 3798 ई-मेल: ppgdos@rbi.org.in

Department of Supervision, Reserve Bank of India, Central Office, Maker Tower-E, 20th floor, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai- 400 005

Tel: 022- 6997 3798 Email: ppgdos@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए



ए. प्रणाली और संरचना.....	14
बी.आवधिकता और व्याप्ति	14
सी. विशेष लेखा-परीक्षा	15
डी. अन्य अनुदेश.....	15
अध्याय VI – निरसन और अन्य प्रावधान.....	17
ए. निरसन और व्यावृत्ति (संरक्षण).....	17
बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं.....	17
सी. व्याख्या	17



प्रस्तावना

शहरी सहकारी बैंकों में सशक्त कॉर्पोरेट अभिशासन के लिए एक स्वतंत्र और प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली बहुत आवश्यक है। यह बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन को आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन और अभिशासन की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के बारे में आश्वस्त करता है। शहरी सहकारी बैंकों के समक्ष आने वाले जोखिमों की एकरूपता को देखते हुए, समरूप मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित समन्वित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली और प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) फ्रेमवर्क का तीसरी रक्षा-पंक्ति के रूप में उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकों में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली और प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी बनाना है।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को सक्षम बनाने वाले अन्य सभी प्रावधानों/कानूनों का प्रयोग करते हुए, यह संतुष्ट होने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, आरबीआई एतद्वारा निम्नलिखित निदेश जारी करता है।

अध्याय I - प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य) निदेश, 2026 कहा जाएगा।
2. ये निदेश जारी होने के साथ ही तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

बी. अनुप्रयोज्यता

3. ये निदेश शहरी सहकारी बैंकों (इसके बाद इन्हें सामूहिक स्तर पर 'शहरी सहकारी बैंकों' और व्यक्तिगत स्तर पर 'शहरी सहकारी बैंक' कहा गया है) पर लागू होंगे।

इन निदेशों के संदर्भ में, 'शहरी सहकारी बैंक' का अर्थ प्राथमिक सहकारी बैंक होगा, जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5(ccv) में सहकारी समितियों के संबंध में परिभाषित किया गया है।



बशर्ते कि इन निदेशों के अध्याय II, III और IV में सभी समावेशी निदेशों के तहत वेतन भोगी शहरी सहकारी बैंकों, इकाई शहरी सहकारी बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों को छोड़कर ₹500 करोड़ और उससे अधिक की आस्ति वाले शहरी सहकारी बैंकों पर लागू होगा।

बशर्ते कि इन निदेशों का अध्याय V में सभी समावेशी निदेशों के तहत ₹500 करोड़ से कम की आस्ति वाले शहरी सहकारी बैंकों वेतन भोगी शहरी सहकारी बैंक, इकाई शहरी सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंक को पर लागू होगा।

सी. परिभाषाएँ

4. इन निदेशों में प्रयुक्त सभी अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो संदर्भानुसार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 2013, अथवा उनमें किसी भी सांविधिक संशोधन या पुनर्चना, या आरबीआई द्वारा जारी अन्य विनियमों, या आरबीआई द्वारा प्रकाशित शब्दावली या वाणिज्यिक भाषा में उपयोग किया गया है।

अध्याय II – अभिशासन और निगरानी

ए. बोर्ड की भूमिका

5. यूसीबी का बोर्ड / बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की निगरानी के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होगी। यह यूसीबी के लक्ष्यों के अनुरूप, जोखिम के स्तर और दिशा के आधार पर आंतरिक लेखापरीक्षाकार्य की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए एक आरबीआईए योजना का अनुमोदन करेगी।

6. बोर्ड / एसीबी आरबीआईए के कार्य निष्पादन की समीक्षा करेगा। बोर्ड / एसीबी को आंतरिक लेखापरीक्षाके सभी पहलुओं को कवर करने वाला एक गुणवत्ता आश्वासन और सुधार कार्यक्रम तैयार करना चाहिए और उसे बनाए रखना चाहिए। गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम में आंतरिक लेखापरीक्षानीति, उद्देश्यों और अपेक्षित परिणामों के अनुपालन के लिए वर्ष में कम से कम एक बार आंतरिक लेखापरीक्षाका मूल्यांकन शामिल होना चाहिए।

7. बोर्ड / एसीबी मैनुअल निगरानी / ट्रांज़ैक्शन टेस्टिंग / अनुपालन निगरानी की सीमा को कम करने के लिए नए लेखापरीक्षा उपकरणों / नई तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा।

8. बोर्ड आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य में कर्मचारियों के लिए सेवा की एक न्यूनतम अवधि निर्धारित करेगा, उन यूसीबी को छोड़कर जहां आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य एक विशेष कार्य है और यह करियर आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। बोर्ड उन कर्मचारियों के लिए जिनके पास लेखापरीक्षा कार्य के लिए उपयोगी विशिष्ट ज्ञान है लेकिन जो अन्य विभागों में तैनात हैं, आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य में कम से कम एक कार्यकाल की सेवा निर्धारित करने की व्यवहार्यता की जांच भी कर सकता है, ताकि आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य में कर्मचारियों के पास पर्याप्त कौशल हो।

बी. वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका

9. वरिष्ठ प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक लेखापरीक्षानीति के अनुपालन को सुनिश्चित करने और एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण कार्यप्रणाली विकसित करने के लिए उत्तरदायी होगा जो सामना किए जाने वाले सभी जोखिमों की पहचान करे, उनका मापन करे, उनकी निगरानी करे और रिपोर्ट करे। इसे यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर आंतरिक लेखापरीक्षाके निष्कर्षों पर उचित कार्रवाई हो और लेखापरीक्षारिपोर्टों को बंद करने की स्थिति बोर्ड / एसीबी के समक्ष रखी जाए।



10. वरिष्ठ प्रबंधन एक व्यापक और स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षाकार्यप्रणाली स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होगा जो जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा दे। इसे यह सुनिश्चित करना होगा कि आंतरिक लेखापरीक्षाकार्यप्रणाली में सही अभिरुचि और दृष्टिकोण वाले कुशल कर्मियों की पर्याप्त संख्या हो, जिन्हें उनके ज्ञान, कौशल और दक्षताओं को अद्यतन करने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षित किया जाए।

11. वरिष्ठ प्रबंधन, सभी प्रकार के लेखापरीक्षासे प्राप्त इनपुट के आधार पर, यूसीबी के द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख जोखिमों की एक समेकित स्थिति वर्ष में कम से कम एक बार बोर्ड या एसीबी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।



अध्याय III - जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा ढांचा

ए. आंतरिक लेखापरीक्षा नीति

12. जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा(आरबीआईए) ढांचा व्यापक रूप से आंतरिक लेखापरीक्षाके लिए एक सुपरिभाषित नीति, यथोचित सम्मानजनक स्थिति के साथ कार्यात्मक स्वतंत्रता, संचार के प्रभावी माध्यम और यथोचित पेशेवर क्षमता वाले पर्याप्त लेखापरीक्षासंसाधनों पर निर्भर करता है।

13. बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति में आंतरिक लेखापरीक्षा गतिविधि के उद्देश्य, अधिकार और उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से प्रलेखित किया हुआ होना चाहिए, जिसमें जोखिम प्रबंधन कार्य और जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की भूमिका और अपेक्षाओं का स्पष्ट विभाजन हो। यह नीति कारोबार के आकार और स्वरूप, उसके संचालन की जटिलता के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें स्वतंत्रता, निष्पक्षता, व्यावसायिक नैतिकता और जवाबदेही से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षाकार्य की मुख्य विशेषताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए।

14. नीति में अधिकतम समय अवधि भी निर्धारित की जानी चाहिए जिसके परे कम जोखिम वाली व्यावसायिक गतिविधियों/स्थानों को भी लेखापरीक्षा के लिए बाहर नहीं रखा जाएगा।

15. इस नीति की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए और संगठन के भीतर इसे व्यापक रूप से प्रसारित किया जाना चाहिए।

बी. उद्देश्य और दायरा

16. एक प्रभावी लेखापरीक्षा पद्धति के रूप में, आरबीआईए को यूसीबी के समग्र जोखिम प्रबंधन ढांचे को जोड़ना चाहिए और बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधन को यूसीबी के आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन और अभिशासन से संबंधित प्रणालियों और प्रक्रियाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता के संबंध में आश्वस्त करना चाहिए।

17. आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य को एक व्यवस्थित और अनुशासित दृष्टिकोण का उपयोग करके यूसीबी के अभिशासन, जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण प्रक्रियाओं के समग्र सुधार का आकलन करना चाहिए और उसमें योगदान देना चाहिए। इसे बोर्ड या एसीबी द्वारा अनुमोदित स्थापित नीतियों और प्रक्रियाओं के आधार पर कार्य करना चाहिए।

18. आरबीआई में चुनिंदा लेन-देन की जांच के साथ-साथ संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और नियंत्रण प्रक्रियाओं का मूल्यांकन भी शामिल होगा, जिससे संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों का अनुमान लगाने और ऐसे जोखिमों को कम करने में भी मदद मिलेगी।

19. जहाँ जोखिम प्रबंधन कार्य का केंद्र जोखिमों की पहचान, मापन, निगरानी और प्रबंधन, जोखिम नीतियों और प्रक्रियाओं के निर्माण, तथा जोखिम प्रबंधन मॉडलों के उपयोग पर होना चाहिए, वहीं आरबीआई को जोखिम-आधारित लेखापरीक्षा योजना तैयार करने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र जोखिम मूल्यांकन करना चाहिए, जो किसी गतिविधि या स्थान से उत्पन्न होने वाले अंतर्निहित व्यावसायिक जोखिमों और ऐसे अंतर्निहित जोखिमों की निगरानी के लिए नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता को ध्यान में रखती हो।

20. आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य को व्यावसायिक निर्णय लेने, जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण पर अभिशासन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए मूल्यांकन करना चाहिए और उचित संस्तुतियाँ करनी चाहिए; यूसीबी के भीतर उपयुक्त नैतिकता और मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए; और प्रभावी निष्पादन प्रबंधन और कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए।

सी. प्राधिकार, कद और स्वतंत्रता

21. आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य के पास पर्याप्त अधिकार, कद, स्वतंत्रता और संसाधन होंगे, ताकि आंतरिक लेखा परीक्षक अपने दायित्वों को ठीक से पूरा करने में सक्षम हों।

22. यूसीबी आंतरिक लेखापरीक्षाकर्मचारियों के पारिश्रमिक को उन व्यावसायिक लाइनों के वित्तीय निष्पादन से नहीं जोड़ेगा जिनके लिए वे लेखापरीक्षा जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। तदनुसार, यूसीबी हितों के टकराव पैदा करने और लेखापरीक्षा की स्वतंत्रता और निष्पक्षता से समझौता करने से बचने के लिए पारिश्रमिक नीतियों की संरचना करेगा।

23. आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यको सभी घटनाक्रमों से अवगत कराया जाना चाहिए, जिसमें नए उत्पादों की शुरुआत, रिपोर्टिंग लाइनों में बदलाव और लेखांकन प्रथाओं/नीतियों में बदलाव शामिल हैं।

24. आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की प्रभावशीलता के लिए प्रत्येक आंतरिक लेखा परीक्षक के पास अपेक्षित पेशेवर क्षमता, ज्ञान और अनुभव होना आवश्यक है। ज्ञान और अनुभव के क्षेत्रों में बैंकिंग/वित्तीय इकाई के संचालन, लेखा, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण, फॉरेंसिक जांच आदि शामिल हो सकते हैं। यूसीबी के सभी क्षेत्रों की लेखापरीक्षा करने के लिए सामूहिक कौशल का पर्याप्त स्तर होना चाहिए।

डी. जोखिम आकलन

25. आरबीआईए जोखिम-आधारित लेखापरीक्षा योजना तैयार करने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र जोखिम मूल्यांकन करेगा। इस जोखिम मूल्यांकन को विभिन्न स्तरों/क्षेत्रों (कॉर्पोरेट और शाखा, पोर्टफोलियो और व्यक्तिगत लेनदेन) के साथ-साथ संबंधित प्रक्रियाओं में भी जोखिम को कवर करना चाहिए। संगठन के कारोबार और अन्य कार्यों का ऐसा जोखिम मूल्यांकन कम से कम वार्षिक आधार पर किया जाएगा। कारोबारी परिवेश, गतिविधियों और कार्य प्रक्रियाओं में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन को समय-समय पर अद्यतन किया जाना चाहिए।

26. जोखिम प्रबंधन और अनुपालन कार्यों सहित प्रत्येक गतिविधि और स्थान का जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) द्वारा जोखिम मूल्यांकन किया जाएगा।

27. आंतरिक लेखापरीक्षाविभाग में जोखिम मूल्यांकन का उपयोग महत्वपूर्ण जोखिम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने और लेखापरीक्षाकार्य को प्राथमिकता देने के लिए किया जाना चाहिए।

28. जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया में, अन्य बातों के अलावा, विभिन्न गतिविधियों में निहित व्यावसायिक जोखिमों की पहचान, व्यावसायिक गतिविधियों के अंतर्निहित जोखिमों की निगरानी के लिए नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन ('नियंत्रण जोखिम'), और दोनों कारकों यानी निहित व्यावसायिक जोखिमों और नियंत्रण जोखिमों के लिए एक जोखिम-मैट्रिक्स तैयार करना शामिल होना चाहिए।

29. अंतर्निहित व्यावसायिक जोखिमों और नियंत्रण जोखिमों के स्तर (उच्च, मध्यम, निम्न) और प्रवृत्ति (बढ़ती हुई, स्थिर, घटती हुई) के निर्धारण का आधार स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।

30. जोखिम मूल्यांकन में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टिकोणों का उपयोग किया जा सकता है। जहाँ ऋण, बाजार और परिचालन जोखिमों के परिमाण का निर्धारण काफी हद तक मात्रात्मक मूल्यांकन द्वारा किया जा सकता है, वहीं विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में समग्र अभिशासन और नियंत्रण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए गुणात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाए।

31. जोखिम मूल्यांकन की कार्यप्रणाली में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित पैरामीटर शामिल होने चाहिए:

(1) पिछली आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और अनुपालन;



- (2) व्यवसाय लाइनों में प्रस्तावित परिवर्तन या फोकस में परिवर्तन;
- (3) प्रबंधन/प्रमुख कर्मियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन;
- (4) विनियामक जांच रिपोर्ट के परिणाम;
- (5) बाहरी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट;
- (6) उद्योग के रुझान और अन्य पर्यावरणीय कारक;
- (7) पिछली लेखापरीक्षा के बाद से बीता समय;
- (8) व्यवसाय का फैलाव और गतिविधियों की जटिलता;
- (9) बजट के मुकाबले निष्पादन में पर्याप्त भिन्नता; और
- (10) जोखिम लेने की क्षमता और नियंत्रण की पर्याप्तता की तुलना में यूसीबी की व्यावसायिक रणनीति।

ई. लेखापरीक्षा योजना

32. यूसीबी जोखिम के परिमाण और आवृत्ति के आधार पर एक जोखिम लेखापरीक्षा मैट्रिक्स तैयार कर सकता है। मैट्रिक्स के आधार पर, लेखापरीक्षा योजना को निम्नलिखित क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के लिए लेखापरीक्षा कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए:

- (1) भारी परिमाण और उच्च बारंबारता
- (2) भारी परिमाण और मध्यम बारंबारता
- (3) भारी परिमाण और निम्न बारंबारता
- (4) मध्यम परिमाण और उच्च बारंबारता
- (5) मध्यम परिमाण और मध्यम बारंबारता
- (6) निम्न परिमाण और उच्च बारंबारता

33. किसी विशिष्ट आंतरिक लेखापरीक्षाकार्य को हाथ में लेने से पहले, उस कार्य की योजना, कार्यक्षेत्र, उद्देश्य, समय-सीमा, संसाधन आवंटन स्पष्ट रूप से स्थापित किया जाना चाहिए। सौंपे गए कार्य



का दायरा और उद्देश्य समीक्षाधीन व्यावसायिक गतिविधि से संबंधित जोखिमों के प्रारंभिक मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए।

34. लेखापरीक्षा कार्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा और संसाधन आवंटन का दायरा पर्याप्त होना चाहिए। आरबीआईए का सटीक दायरा यूसीबी द्वारा निम्न, मध्यम, उच्च, अति उच्च और अत्यधिक उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया जाएगा। आंतरिक लेखापरीक्षा के दायरे में सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के संबंध में प्रणाली और प्रक्रिया लेखापरीक्षा भी शामिल होनी चाहिए। प्रणाली लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को भी बोर्ड की आई. टी. समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए।

35. आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट उचित विश्लेषण और मूल्यांकन पर आधारित होनी चाहिए। इसमें निष्कर्षों और परिणामों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त, विश्वसनीय, प्रासंगिक और उपयोगी जानकारी सामने आनी चाहिए। इसमें लेखापरीक्षा कार्य के उद्देश्यों, दायरे और परिणामों को शामिल किया जाना चाहिए और उचित संस्तुतियाँ और/या कार्य योजनाएं बताई जानी चाहिए।

एफ़. अनुपालन की निगरानी

36. आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य के पास आंतरिक लेखापरीक्षा के दौरान की गई टिप्पणियों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए। अनुपालन की स्थिति बोर्ड/एसीबी को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट का एक अनिवार्य हिस्सा होनी चाहिए।

37. बोर्ड/एसीबी को सभी लंबित उच्च और मध्यम जोखिम वाले पैराग्राफ और लगातार बनी हुई अनियमितताओं की सूचना दी जानी चाहिए, ताकि उन प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित किया जा सके जहाँ जोखिम की पहचान के बावजूद जोखिम न्यूनीकरण नहीं किया गया है।

38. आरबीआईए के पास एक उचित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और डेटा अखंडता व्यवस्था होनी चाहिए।

जी. आउटसोर्सिंग

39. यूसीबी आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य को आउटसोर्स नहीं करेगा। हालांकि, जहां आवश्यक हो, यूसीबी संविदा के आधार पर पूर्व कर्मचारियों सहित विशेषज्ञों को काम पर रख सकता है, बशर्ते बोर्ड / एसीबी



आश्चस्त हो कि ऐसी विशेषज्ञता यूसीबी के लेखापरीक्षा ढाँचे के भीतर उपलब्ध नहीं है। ऐसे मामलों में हितों के किसी भी टकराव को चिह्नित किया जाएगा और प्रभावी ढंग से संबोधित किया जाएगा। सभी मामलों में लेखापरीक्षा रिपोर्टों का स्वामित्व आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य के नियमित पदाधिकारियों के पास रहेगा।



अध्याय IV – आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख

ए. प्राधिकार, कद और स्वतंत्रता

40. यूसीबी यह सुनिश्चित करेगा कि आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख (एचआईए) एक वरिष्ठ कार्यपालक हो, जिसमें स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता हो। आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों के साथ-साथ, एचआईए के पास किसी भी स्टाफ सदस्य के साथ संवाद करने का अधिकार होगा और उन सभी रिकॉर्डों तक पहुंच होगी जो सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।

बी. कार्यकाल

41. उन यूसीबी को छोड़कर जहां आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य एक विशेष कार्य है और करियर आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रबंधित किया जाता है, एचआईए को पर्याप्त अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, अधिमानतः न्यूनतम तीन वर्षों के लिए।

सी. रिपोर्टिंग लाइन

42. एचआईए सीधे बोर्ड / एसीबी / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) या पूर्णकालिक निदेशक (डबल्यूटीडी) को रिपोर्ट करेगा। जहां कहीं भी एमडी एवं सीईओ या डबल्यूटीडी, एचआईए के 'रिपोर्टिंग प्राधिकारी' हैं, वहां एचआईए के कार्य निष्पादन मूल्यांकन के मामलों में 'समीक्षा प्राधिकारी' एसीबी/ बोर्ड होगा और 'स्वीकार करने वाला प्राधिकारी' बोर्ड होगा। ऐसे मामलों में, एसीबी / बोर्ड वरिष्ठ प्रबंधन (एमडी एवं सीईओ / डबल्यूटीडी सहित) की उपस्थिति के बिना, तिमाही में कम से कम एक बार एचआईए के साथ बैठक करेंगे।

43. एचआईए का यूसीबी के व्यावसायिक वर्टिकल्स के साथ कोई रिपोर्टिंग संबंध नहीं होगा और उसे कोई व्यावसायिक लक्ष्य नहीं दिए जाएंगे।



अध्याय V – निरीक्षण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

ए. प्रणाली और संरचना

44. यूसीबी में निरीक्षण और आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली होनी चाहिए। यूसीबी के प्रधान कार्यालय में निरीक्षण विभाग का प्रमुख यथोचित वरिष्ठता और सत्यनिष्ठा वाला एक अधिकारी होना चाहिए, जो सीधे अध्यक्ष को रिपोर्ट करेगा। यदि यूसीबी के आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तो अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली शाखाओं की समय-समय पर लेखा परीक्षा करने के लिए आंचलिक/क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में यथोचित वरिष्ठता वाले एक अधिकारी के अधीन एक लेखा परीक्षा तंत्र होना चाहिए।

45. निरीक्षण विभाग में तैनात अधिकारियों के पास पर्याप्त अनुभव और जानकारी होनी चाहिए। कर्मचारियों को वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नति के लिए यूसीबी को निरीक्षण विभाग में कम से कम तीन साल का निरंतर अनुभव अनिवार्य करना चाहिए।

बी. आवधिकता और व्याप्ति

46. यूसीबी को हर 12 महीने में कम से कम एक बार अपनी सभी शाखाओं का औचक आंतरिक लेखा परीक्षा करवाना होगा।

47. इस तरह के निरीक्षणों के कवरेज व्यापक होने चाहिए ताकि कोई भी अनियमितता या कदाचार की घटना छिपी न रहे, और इसमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

(1) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली जिसमें नियंत्रण कार्यालयों को प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न आवधिक नियंत्रण रिटर्न शामिल हैं;

(2) आरबीआई द्वारा इंगित अनियमितताओं की स्थिति; और

(3) भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी प्रवण क्षेत्र, जैसे ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन, बहियों का मिलान, अंतर-शाखा खातों का मिलान, समाशोधन लेन-देन का निपटान, उंचंत खाते, परिसर और स्टेशनरी खाते।

48. यूसीबी को वार्षिक आंतरिक निरीक्षण के साथ-साथ उचित उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा अनियमित अंतराल पर औचक संक्षिप्त निरीक्षण भी करना होगा, विशेष रूप से बड़ी शाखाओं का, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शाखा के अधिकारी किसी भी प्रकार की दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों में लिप्त नहीं हैं।

49. यूसीबी अपने प्रधान कार्यालय के विभागों और नियंत्रण कार्यालयों का निरीक्षण अपने वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से कराएगा।

सी. विशेष लेखा-परीक्षा

50. उपर्युक्त निरीक्षणों के अतिरिक्त, बड़ी शाखाओं के राजस्व लेखा-परीक्षा की एक नियमित प्रणाली होनी चाहिए। इस प्रकार के लेखा-परीक्षा में उजागर हुई आय की हानि के कारणों की समीक्षा की जानी चाहिए और चूक के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।

51. यूसीबी नियमित अंतराल पर बड़े अग्रिमों और समूह निवेशों (एक्सपोजर) पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऋण पोर्टफोलियो की विशेष संवीक्षा प्रणाली लागू करेगा।

52. यूसीबी अन्य बैंकों से स्थानांतरित किए गए कार्यपालकों/अधिकारियों जिनमें महाप्रबंधक, कार्यपालक निदेशकों और प्रबंध निदेशक के साथ-साथ यूसीबी में स्थानांतरित किए गए उच्च मूल्य वाले खातों की विशेष संवीक्षा करेगा। इसी प्रकार, अन्य शाखाओं से स्थानांतरित खातों के साथ अधिकारियों के साथ स्थानांतरित खातों की भी निरीक्षण के दौरान गहन संवीक्षा की जानी चाहिए। महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सारांश एसीबी को प्रस्तुत किया जाए।

डी. अन्य अनुदेश

53. यूसीबी को निरीक्षणों को केवल दोषानुसंधान का प्रयास नहीं मानना चाहिए। इसके बजाय, इनका उपयोग कर्मचारियों को निर्धारित सुरक्षा उपायों और स्थापित प्रणालियों व दिशा-निर्देशों से भटकने के जोखिमों के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए।

54. यूसीबी को अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं के माध्यम से आरबीआई द्वारा उठाए गए मुद्दों का शीघ्रता से अनुवर्तन करना चाहिए, तथा बोर्ड को समय-समय पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

55. यूसीबी को आंतरिक रिटर्न की संख्या को कम करके, और शुरुआती चेतावनी संकेतों तथा अनियमितताओं का पता लगाने के लिए सटीक संकलन, समय पर प्रस्तुतीकरण और गहन जांच सुनिश्चित करके अपने नियंत्रण-विवरणी ढांचे को इष्टतम रखना चाहिए।



56. नियंत्रण विवरणी से किसी भी असामान्यता का संकेत मिलने पर, बैंक के हितों की सुरक्षा हेतु और दोषी अधिकारियों को स्थिति बिगाड़ने या रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए तुरंत एक औचक निरीक्षण किया जाना चाहिए।

57. यूसीबी की शाखाओं को मासिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि संबद्ध इकाइयों का निरीक्षण निर्धारित अंतरालों पर पूरा हो चुका है और अग्रिमों की सुरक्षा के लिए गिरवी रखे गए या दृष्टिबंधक रखे गए स्टॉक की गुणवत्ता या मात्रा में कोई कमी नहीं पाई गई है।

58. शाखाओं के दौरे के दौरान, नियंत्रकों को बकाया शेष राशि के सापेक्ष आहरण शक्ति रिकॉर्ड, प्राप्त स्टॉक विवरण और संबंधित दस्तावेजों की यादृच्छिक जांच करनी चाहिए। उन्हें चुनिंदा तुलन बही को भी सत्यापित करना चाहिए और अवधि रिपोर्ट प्राप्त करने चाहिए ताकि तुलन बही का उचित रूप में बनाए रखे जाना और तुलन की सटीकता सुनिश्चित की जा सके।

59. यूसीबी को एक ऐसी प्रणाली स्थापित करनी चाहिए जिसमें किसी परिचालन क्षेत्र में किसी अनियमितता को देखने वाले कर्मचारी को सुधारात्मक कदम उठाने के लिए तुरंत उच्च अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करना आवश्यक हो।

अध्याय VI - निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और व्यावृत्ति

60. इन निदेशों के जारी होने के साथ ही, शहरी सहकारी बैंकों पर लागू आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य से संबंधित मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त हो जाते हैं, जैसा कि 31 जुलाई, 2026 के परिपत्र संख्या DoS.CO.PPG.66/11.01.005/2026-27 द्वारा सूचित किया गया है। इन निदेशों के जारी होने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त ही रहेंगे।

61. ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के तहत की गई या की जाने वाली कोई भी कार्रवाई उसके प्रावधानों द्वारा अभिशासित होती रहेगी। इन निरस्त सूचियों के तहत दी गई सभी स्वीकृतियां या पावतियां इन निदेशों द्वारा शासित मानी जाएंगी। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों का निरसन किसी भी तरह से निम्नलिखित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा:

- (1) उसके तहत अधिग्रहित, प्राप्त या समक्ष आया कोई अधिकार, दायित्व या देनदारी;
- (2) उसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई जुर्माना, जब्ती या सजा;
- (3) उपर्युक्त अनुसार ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देनदारी, जुर्माने, जब्ती या सजा के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय; और ऐसी कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय ऐसे शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी जुर्माना, जब्ती या सजा लगाई जा सकती है जैसे कि वे निदेश, अनुदेश या दिशानिर्देश निरस्त नहीं हुए हों।

बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं

62. इन निदेशों के प्रावधान फिलहाल लागू किसी भी अन्य कानून, नियम, विनियम या निदेश के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

सी. व्याख्या

63. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी करने या उनके आवेदन या व्याख्या में किसी भी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनों के लिए, आरबीआई, यदि आवश्यक समझे, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के



संबंध में उचित स्पष्टीकरण जारी कर सकता है। आरबीआई द्वारा इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और सभी संबंधित संस्थाओं पर बाध्यकारी होगी।

(तरुण सिंह)
मुख्य महाप्रबंधक